प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा सांडिला के खाता संख्या 245 व 563 के खसरा नम्बर 413, 414, 749, 783, 837, 196 व 209 की जमा बदीं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम नाम मुनीम सिंह पुत्र किशनसिंह के स्थान पर जब्बरसिंह पुत्र किशनसिंह भूलंवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा सांडिला के खाता संख्या 245 व 563 के खसरा नम्बर 413, 414, 749, 783, 837, 196 व 209 में दर्ज खातेदार जब्बरसिंह पुत्र किशनसिंह के स्थान पर जब्बरसिंह उर्फ मुनीमसिंह पुत्र किशनसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता मौजा सांडिला के खाता संख्या 245 व 563 के खसरा नम्बर 413, 414, 749, 783, 837, 196 व 209 में दर्ज **जब्बरसिंह पुत्र किशनसिंह के स्थान पर जब्बरसिंह उर्फ मुनीमसिंह पुत्र किशनसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 29.10.24....... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner